न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 7/2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामसिंह पुत्र रामकवार।
2 मुकेश सिंह पुत्र रामकवार।
3 नेतराम पुत्र रामकवार।
4 हंसराज पुत्र रामकवार समस्त जाति गुर्जर निवासीगण दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नायब तहसीलदार पाटन उप तहसील पाटन जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर
सीकर मुकदमा नं0 40/2016 बउनवानी
रामसिंह वगैरह बनाम नायब तहसीलदार पाटन
निर्णय दिनांक 13.06.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री दिनेश कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पोखरमल अधिवक्ता राजकीय

–निर्णय–

दिनांकः–20.12.2018

यह अपील विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2016 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 351/1 पर अर्सा करीब 35–40 वर्षो से आवास–निवास कर रहे है तथा कच्चा–पक्का निर्माण कर रखा है। पटवारी हल्का पाटन द्वारा नायब तहसीलदार पाटन के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम दलपतपुरा के खसरा नम्बर 351/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर पर अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांटस द्वारा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 21.05.2016 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन अपीलांटस का जवाब दिनांक 23.05.2016 को स्वीकार किया गया तथा उक्त नोटिस के संबंध में अन्य दस्तावेजात पेश करने व बहस हेतु अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य हेतु समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 23.05. 2016 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी मानकर मौके से बेदखल करने एवं 0.96/– पैसे का 50 गुणा यानी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

48/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने की आज्ञा पारित कर दी गई। अपीलांटस के कब्जे, हक अधिकार की भूमि के संबंध में पूर्व पंचों व पूर्व सरपंच द्वारा दिनांक 02.07.2003 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि अपीलांटस के स्वामित्व की भूमि है अतिक्रमण की नहीं है तथा दिनांक 14.08.2006 को ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी कर उक्त भूमि को आबादी क्षेत्र में होना बताया है। भूमि खसरा नम्बर 172 के नये खसरा नम्बर 351/1 रकबा 0.75 हैक्टेयर ग्राम दलपतपुरा को आबादी भूमि में मानते हुए उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को पत्रावली संख्या 03/2012 तहसीलदार महोदय नीमकाथाना द्वारा तैयार कर अभिशंषा हेतु दिनांक 13.01.2012 को भिजवायी गई थी इसके पश्चात ग्राम पंचायत दलपतपुरा द्वारा भूमि आंवटन करवाई जायें। उक्त प्रस्ताव में आबादी भूमि आंवटन करवाने हेतु सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 351/1 रकबा 5.61 हैक्टेयर व 350 रकबा 0.33 हैक्टेयर से कम संख्या 351/1 में 2 हैक्टेयर व 350 सम्पूर्ण आबादी में आंवटन करने का प्रस्ताव सदन में पेश कर आंवटन हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर को भेजी गई, इससे भी स्पष्ट है कि उक्त आबादी भूमि वर्तमान में ढ़ाणियों के रूप में आबाद चली आ रही है और उक्त भूमि जिस पर अपीलांटस द्वारा आवास निवास हेतु मकानात आदि का निर्माण करवा रखा है किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के साक्ष्य व दस्तावेजात पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना ही व मौके का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 23.05.2016 को एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। इसके विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन निर्णय से खारिज की गई है। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 172/1 रकबा 5.61 हैक्टेयर में से 0.75 हैक्टेयर को आबादी में परिवर्तन करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई है। इस रिपोर्ट से प्रमाणित है कि विवादित भूमि पर आबादी बस्सी हुई है यह भूमि पहाड़ की तलहटी में है मौके पर बिजली के कनेक्शन है लगान की रसीदे पेश की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार है विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता राजकीय ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है जिस पर आंवटन/नियमन विधि द्वारा वर्जित है दोनों न्यायालयों ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से विवादित भूमि गैर मुमकिन पहाड़ होना साबित है ऐसी भूमियों पर विधि अनुसार खातेदारी अधिकार/आंवटन/नियमन किया जाना प्रतिबंधित है विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाये जाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर